<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10.05.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **बाइक बॉट घोटाला मामले** में 4.72 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। अपराध की आय के रूप में खुर्जा, बुलंदशहर, उ. प्र. में स्थित कुल 7 अचल संपत्तियां]औद्योगिक और कृषि भूमि[कुर्क की गई हैं। संपत्तियां मेसर्स डीएसएम इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड के नाम पर थीं जिसका लाभकारी स्वामित्व धीरेंद्र पाल सोलंकी के पास है।

ईडी ने **बाइक बॉट घोटाले** में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा **मेसर्स गार्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड)जीआईपीएल(** और इसके प्रमोटर संजय भाटी और कई अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया कि मेसर्स गार्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड)जीआईपीएल(ने सार्वजनिक निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न का वादा किया और निर्दोष जनता को कंपनी के साथ अपना पैसा निवेश करने का लालच दिया। इसके बाद आरोपियों ने जनता को धोखा दिया और वादे के मुताबिक पैसे न देकर उनके साथ धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी कंपनी के विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल जनता/निवेशकों से धन इकट्ठा करने और उसे शुरुआती निवेशकों को भुगतान में लगाने के लिए किया गया है। यह जानबूझकर जनता का विश्वास हासिल करने और अधिक निवेशकों/जनता को अधिक मात्रा में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए किया गया था। जनता से निवेश के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। सार्वजनिक धन का उपयोग आरोपी प्रमोटरों की विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए भी किया गया था। जांच से पता चलता है कि जनता से प्राप्त धन को विभिन्न गैर-संबंधित कंपनियों/ट्रस्टों में स्थानांतरित करने और धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग किया गया था। निर्दोष निवेशकों को धोखा देने और ठगने के इरादे से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पैसा निकाला गया।

ईडी ने इससे पहले 20-12-2020 और 20-07-2023 को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और डिजिटल साक्ष्यों सहित कई साक्ष्य बरामद किए थे। 20.07.2020 और 04.10.2021 को जारी किए गए 2 अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 216 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई है। माननीय विशेष न्यायालय)पीएमएलए(, गाजियाबाद के समक्ष 27 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत और तीन पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की गई हैं। सभी अभियोजन शिकायतों]नवीनतम 22-09-2023] का संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।